

राजस्थान सरकार

(भागदा 120)

भालका खेडा

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 1, 2 अपेन्डेचर फॉर्म नंबर 3 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौल या जिला - बीलवाड़ा (राज.)

2024/351

किरम मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख जमान	तारीख फैसला	पेजी दिनांक
1	2	3	4	5
53-88-188 RTA वाड पत्र		2024/351		
	94/24	26/8/24	श्रीमान हरजी खाता श्रीमान 28/11/25	12/8/24 21/9/24 28/10/24 19/11/24 19/12/24 28/11/25

अनवान

श्री दुर्गेस शिवा शंकर लाल तेली

श्री किरान पुत्र खजारी तेली

निवासी इन्दो का खेडा गोरह (03)

निवासी इन्दो का खेडा गोरह (19)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदर

पदयून

श्री सुरेन्द्र सिंह खजारी

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया
दुर्गा बनाम विशाल
 स्म मुकदमा 53-88-188 नं. 94/24

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/6/24 पत्रावली राज्य सरकार के आदेश से 04/06/24
 उपखण्ड अधिकारी माधवलाल से प्राप्त हुई।
 पत्रावली वाले तलवी आगामी दिनांक
12/8/24 को पेश हो

3
 उप खण्ड अधिकारी
 बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

12/8/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वाले तलवी
 आगामी दिनांक 02/9/24 को पेश हो

2/9/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में वाली
 प्रतिवादी को सूचना आगामी दिनांक
28/10/24 को पेश हो

28/10/24 पत्रावली पेश की गयी/प्रतिवादी
 उपस्थित नहीं है। पत्रावली
 दिनांक 19/11/24 को तलवी पेश हो।

3
 उप खण्ड अधिकारी

19/11/24 पत्रावली पेश की गयी/प्रतिवादी
 उपस्थित नहीं है। पत्रावली
 दिनांक 21/12/24 को तलवी पेश हो।

3
 उप खण्ड अधिकारी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19/12/24

पत्रावली चेरा डूरी पत्रावली कसते में
वादी/प्रतिवादी को सूचना नोटिफ कैंजे
गए। वादी/प्रतिवादी बाद - सूच्या उपस्थित
पत्रावली वास्ते उम्ति- माफेरा भागामी दिनांक
28/01/25 को चेरा ले

उ

28/1/25

पत्रावली चेरा डूरी वादी - प्रतिवादी बाद
सूच्या लगातार गैर हाजिर रहे। वादी -
प्रतिवादी को उबार भावाज लगाई गई
परन्तु डेब उपस्थित नहीं हुआ या ही
वादी-प्रतिवादी का अधिवक्ता उपस्थित
हुआ। पत्रावली को अदम हाजरी में
इसी स्तर पर बंद किया जाता है।
पत्रावली उम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उ

उप-खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा